निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1329) पटना शुक्रवार 30 अक्तूबर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

29 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 243 दिनांक 30 अक्तूबर 2026—जबकि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 3 के उपनियम (10) के खण्ड (1) के अनुसार संहिता के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान प्रतिष्ठानों के मामले में, यदि आवेदक संहिता के प्रवृत्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो कोई शुल्क देय नहीं होगा; तथापि नए प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण शुल्क उक्त नियम में दी गई सारणी के अनुसार देय होगा;

और जबकि संहिता के प्रवृत्त होने की तिथि 21.11.2025 तथा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि 01.07.2026 है;

और जबकि श्रम संहिताओं के प्रवृत्त होने के उपरांत पंजीकरण संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पोर्टल निर्माण, पंजीकरण प्राधिकारों की अधिसूचना आदि कई संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ किया जाना आवश्यक है;

और जबकि राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय सरलीकरण एवं उद्योग–धंधों को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं;

और जबकि अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना तथा अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उक्त 60 दिनों की अवधि को विस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया है;

और जबकि नियमावली के नियम 93 में प्रावधान है कि नियमावली के अधीन निर्धारित किसी भी शुल्क में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगा;

अतः बिहार के राज्यपाल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 93 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (10) के खण्ड (1) में वर्णित 60 दिनों की अवधि को दिनांक 31.12.2026 तक के लिए विस्तारित करते हैं।

तदनुसार, संहिता के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान प्रतिष्ठान, जो दिनांक 31.12.2026 तक पंजीकरण हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें कोई शुल्क देय नहीं होगा। यह ''शुल्क–मुक्त पंजीकरण की अवधि'' का विस्तार है।

वे सभी प्रतिष्ठान, जिन पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, उक्त विस्तारित अवधि में अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी होगी।

(सं० 01/OSHC-08/2026–226/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

29 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 244 एस० ओ० 243 दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-08/2026–227/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 29th October 2026

SO 243 date 30th October 2026—Whereas, according to Section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act 37 of 2020) and Clause (1) of Sub-rule (10) of Rule 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026, in the case of establishments existing before the commencement of the Code, if the applicant applies for registration within 60 days from the date of coming into force of the Code, no fee shall be payable; however, for a new establishment, the registration fee shall be payable according to the table given in the said rule;

And whereas the date of coming into force of the Code is 21.11.2025 and the date of coming into force of the Rules is 01.07.2026;

And whereas, after the coming into force of the Labour Codes, for the implementation of provisions relating to registration, several transitional arrangements, such as creation of a portal and notification of registering authorities, are necessary to be made;

And whereas, by the State Government, in the State, many important steps are being taken to simplify doing business and to promote industries;

And whereas, by the President, Bihar Chamber of Commerce and Industries, Patna, and the President, Bihar Industries Association, a request has been made for the said period of 60 days to be extended;

And whereas, in Rule 93 of the Rules, there is a provision that in any fee prescribed under the Rules, the Department of Labour Resources and Migrant Workers' Welfare may make amendment by Gazette notification;

Therefore, the Governor of Bihar, exercising the powers conferred in Rule 93 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026, extends the period of 60 days described in Clause (1) of Sub-rule (10) of Rule 3 of the said Rules up to the date 31.12.2026.

Accordingly, establishments existing before the commencement of the Code that apply for registration up to the date 31.12.2026 shall not be liable to pay any fee. This is an extension of the "period of fee-free registration."

All those establishments to which the provisions of the Code apply shall ensure that they get themselves registered in the said extended period.

2. This notification shall be effective from the date 01.07.2026.

(No.* 01/OSHC-08/2026–226*//L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1329-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in